रजिस्ट्री सं० डी 221 REGISTERED No D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 338] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 19, 1966/आश्विन 27, 1888
No. 338] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 1966/ASVINA 27, 1888

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF EDUCATION

ORDER

COPYRIGHT

New Delhi, the 17th October 1966

S.O. 3157.—In exercise of the powers conferred by section 40 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the International Copyright Order, 1958, namely:—

1. This Order may be called the International Copyright (Fifth Amendment) Order, 1966.
2. In the International Copyright Order, 1958, in Part II of the Schedule, in the Explanation, after the entry "British Guiana", the entry 'British Honduras" shall be inserted.

[No. F. 3(10)/66-C.O.]

A. M. D'ROZARIO, Jt Secy.

शिक्षा मंत्रालय

आदेश

कापीराइट

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर 1966

एस० ओ० 3158.—प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 (1957 का 14) की धारा 40 द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय

प्रतिलिप्यधिकार आदेश, 1958 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :

1. यह आदेश अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (पांचवां संशोधन) आदेश, 1966 कहा जाए ।
2. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार आदेश, 1958 की अनुसूची के भाग–II की व्याख्या में 'ब्रिटिश गियाना' की प्रविष्टि के बाद, 'ब्रिटिश होण्डरस' की प्रविष्टि की जाएगी ।

[सं० एफ-3(10)/66 कापीराइट]

ए० एम० डी' रोजारियो,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1966